न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-1181/2026

जय प्रकाश चौधरी उर्फ जय प्रकाश यादव बनाम् बिहार सरकार

[सिवान नगर थाना कांड संख्या–434 / 2026]

आदेश

10.07.2026 आवेदक / अभियुक्त **1. जय प्रकाश चौधरी उर्फ जय प्रकाश यादव, पे. स्व. गौतम चौधरी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1181 / 2026, सिवान नगर थाना कांड संख्या–434 / 2026, अंतर्गत धारा–115(2),126(2),118(1),109,303(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री जर्नादन प्रसाद सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अनुप कुमार सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि सूचक रोज की भांति दिनांक 12.04. 2026 के सुबह 03:15 बजे टहलने हेतु घर से निकला कुछ दूर गया तभी समैकी झगरू चौधरी ने सूचक को घेर लिया तथा गले में सोने की सिकड़ी 1,50,000 / –रूपये का नोच लिया एवं चाकू दिखाकर पॉकेट से सात हजार रूपया पेंटर लेबर को देने के लिए था वो भी निकाल लिया, ओ.पो. का मोबाईल भी छीन लिया। विरोध करने पर जान से मार देने हेतु चाकू से छाती, पजरी पर कई बार किया, खून बहने लगा दौड़े हुए जान बचाए हेतु सूचक घर भागा तब घर के लोग श्रीनगर डॉ0 नगेन्द्र यादव को पकड़कर लाये। सूचक बेहोश हो गया तब टांका पड़ा, खून बंद हो गया। इसी बीच 8 बजे सुबह जय प्रकाश चौधरी ने आठ अज्ञात अपराधी को लेकर दरवाजे पर आ गये तथा मुकदमा करोगे तो जान से मार देंगे की धमकी कट्टा, चाकू दिखाकर करने लगे। ये लोग हमेशा हमलोगों के घर में चोरी, छिनौती करते रहते है। हम ग्रामीण इनलोगों से काफी भयभीत रहते है। लुकते–छिपते सदर अस्पताल, सिवान ईलाज हेतु गए ईलाज के बाद रात को घर आया। काफी खून बह जाने से कमजोरी थी, इस कारण विलंब से आवेदन दिया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा आवेदक / अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक साफ–सुथरा छवि के व्यक्ति है। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा और मनगढ़न्त है। आवेदक को उसके शत्रुओं द्वारा स्थानीय राजनीति के कारण इस मामले में फंसाया गया है ताकि जनता में उसकी छवि धूमिल की जा सके। आवेदक पी.एच.डी.ई., सिवान का स्थायी कर्मचारी है और चौकीदार के रूप में कार्यरत है तथा घटना की कथित तिथि और समय पर वह सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी पर था। प्राथमिकी में लगाए गये आरोपों के अनुसार आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का डर बना हुआ है। आवेदक एक सम्मनित परिवार से संबंध रखता है और वह न तो फरार होगा और न ही अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा। आवेदक इस मामले की जांच में सहयोग करेगा और जांच में सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। आवेदक उचित बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उनके द्वारा आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में कहा है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः

न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-1181/2026

जय प्रकाश चौधरी उर्फ जय प्रकाश यादव बनाम् बिहार सरकार

[सिवान नगर थाना कांड संख्या–434 / 2026]

अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिवान नगर थाना कांड संख्या–434 / 2026, धारा–115(2),126(2),118(1),109,303(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई है। प्रस्तुत मामले में आवेदक पर सूचक के दरवाजे पर आकर कट्टा एवं चाकू दिखाकर जान मारने की धमकी देने का मात्र अभियोग है तथा अभियुक्त झगरू चौधरी पर सोने की सिकड़ी, रूपया एवं चाकू से छाती, पजरी पर जख्म कारित का अभियोग है जो इस अग्रिम जमानत में आवेदक नहीं है। कांड दैनिकी की कंडिका सं0–38 एवं पूरक कांड दैनिकी की कंडिका सं0–04 में जख्मी बलिशंकर चौहान के जख्म प्रतिवेदन से संबंधित है जिसमें चिकित्सक ने जख्मी के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 33 में आवेदक के आपराधिक इतिहास से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध इस कांड के अलावे अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक / अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदक / अभियुक्त **1. जय प्रकाश चौधरी उर्फ जय प्रकाश यादव** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000 / – रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदक / अभियुक्त का निकट संबंधी होगा जो इस बात का अंडरटेकिंग देगा कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देगा। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं और विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त / आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित

ह0 / –

(राजेश कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,

सिवान।

दिनांक–10.07.2026